न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :— 4/2009

उनवान

1. किशोरी लाल पुत्र मुंशीलाल (मृतक दौराने वाद)
1/1 श्रीमति कलावती पत्नि स्व० किशोरीलाल
1/2 विनेश पुत्र स्व० किशोरीलाल
1/3 नवल किशोर पुत्र स्व० किशोरीलाल
1/4 संजू पुत्री स्व० किशोरीलाल
1/5 कुसुम शर्मा स्व० किशोरीलाल
समस्त जाति व्यस्कान, जाति ब्राह्मण, निवासी कस्बा—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

— वादीगण

बनाम

1. पतासी देवी पत्नि स्व० कालूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी रामपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर हाल गंगानगर (मृतक दौराने वाद के कारण नाम हजफ किया)

— प्रतिवादीया

2. फूली देवी पुत्री स्व० परमा पत्नि स्व० बालजी जाति ब्राह्मण निवासी सांवलपुरा तंवरान, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
3. सीताराम पुत्र मांगीलाल निवासी सावंलपुरा तवंरान तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (मृतक दौरान वाद) न्यायालय आदेश दिनांक— 15.04.2024 के द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र आदेश—22 नियम—4 (4) स्वीकार फरमाया जाकर वारिसान को रिकार्ड पर लेने से छूट प्रदान की
4. बसंती लाल पुत्र मांगीलाल निवासी सांवलपुरा तंवरान, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
5. रेशमी पुत्री मांगीलाल निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
6. इन्द्रमणी पुत्री मु० धापा देवी निवासी 'शेरपुरा गुवार तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
7. रमेश पुत्र मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी—शाहपुरा, जिला जयपुर

— तरतीबी प्रतिवादीगण

8. उपपंजीयक महादेय—शाहपुरा, जिला जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर

10. श्रीमति यदुनन्दनी पत्नि श्री प्रकाश चन्द जाति ब्राह्मण, निवासी रामपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर,

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :—

1. श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

वाद पत्र इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक 15.01.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है । वादी के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से पेश किया गया किया :–

परमा फौत

कालूराम मृत पतासी	बादामी पुत्री मृत किशोरीलाल रमेश	झूथी पुत्री मृत सीताराम बसन्तीलाल रेशमी	फूली पुत्री	धापा पुत्री मृत इन्द्रमणी

यह कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1120/20/2 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम रामपुरा तहसील विराटनगर को वादी के नाना व प्रतिवादी संख्या एक के श्वसुर प्रतिवादी संख्या के पिता व प्रतिवादी संख्या लगायत 7 के नाना मृतक परमा पुत्र किशना ब्राहमण काश्त करते थे इसी आधार पर उनको आपसी का अलाटमेन्ट नियमन किया गया था व इसके बाद वादी प्रतिवादीगण व उसके बुजुर्ग परमा की मृत्यु हो गयी व हाल सैटलमेन्ट में इसके नये नम्बर 2144 रकबा 0.52 है, निर्धारित किये है व खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। मृतक परमा पुत्र किशना ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल अचल सम्पति की वसीयत वादी के हक मे जो रिस्ते में परमा का दोहिता लगता था के हक में 21–11–61 में करवाकर सब राजस्ट्रार बैराठ के यहां से राजस्टर्ड करवायी थी व अपनी समस्त सम्पति का वारिस घोषित किया था। इस प्रकार मृतक परमा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी की गैर खातेदारी व उसके बाद खातेदारी एक मात्र वादी को दी जानी चाहिये थी व आराजी पर परमा के जीवनकाल से आज तक वादी ही काबिज है व वर्तमान में भी चने की फसल काश्त करवा रखी है। लेकन राजस्व कर्मचारीयो से प्रतिवादी संख्या एक से साजकर आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या एक के नाम कर दी गयी जो काबिले दुरुस्ती है।प्रतिवादी संख्या एक बाल विधवा है व पति की मृत्य के बाद कभी परमा के पास नहीं रही व पहले पीहर में रखती थी व अब गंगानगर रहती है उसका आराजी से कभी कोई सम्बन्ध व वास्ता नही रहा है। वसीयत दिनांक 21–11–61 के अनुसार मृतक परमा की सम्मति का वादी एक मात्र हकदार है व यदि आराजी को वंश परम्परागत सम्मति भी मानी जावे तो मृतक परमा के पुत्र कालूराम की विधवा प्रतिवादी संख्या 1. को 1/5 हिस्से की व परमा की चार पुत्रीयां थी जिसने प्रतिवादी संख्या 2 जीवित है को 1/5 हिस्से की व प्रतिवादी संख्या 3 से 5, 1/5 हिस्से की व बाकी प्रतिवादी संख्या 7 को 1/5 हिस्से के व प्रतिवादी संख्या 6 को 1/5 हिस्से के उत्तराधिकारी व खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

नाम आ जाने के कारण उसके मन मे बेईमानी आ गयी और वह बदनीयति पूर्वक आराजी को खुर्द बुर्द कब्जा करना चाहती है व आराजी को बेचान करने पर आमादा है इस नाजायज उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 5–1–2009 को दो तीन व्यक्तियों को लेकर आराजी पर आयी व बेचान की बात करने लगी व वादी को धमकी दी है कि व शीघ्र ही आराजी का बेचान दीगर व्यक्तियों को करेगी व ताकत के बल पर आराजी का कब्जा वादी को बेदखल करके लेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम गलत रूप से हुये खातेदारी के आधार पर आराजी को विक्रय कर वादी को आराजी से बेदखल कर देती है तो वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन राशी में किया जाना सम्भव नही होगा व वादी को अनेक मुकदमेबाजी में फँसना पडेगा, इस कारण प्रस्तुत दावा करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में वादी ने निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 2144 रकबा 0.52 है0 वाकै ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा को वादी को वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे अन्यथा में वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को 1/5 भाग का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 भाग का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 भाग का व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को 1/5 भाग का व प्रतिवादी संख्या 6 को 1/5 भाग का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से बेचान नहीं करने व बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। पेश कर जाहिर किया कि वादी शुरू से ही पुलिस विभाग में कार्यरत है व कस्बा शाहपुरा में निवास करता है। परमा हमेशा रामपुरा ही अपनी पुत्रवधू के साथ रहता है। वादी ने कभी परमा की सेवा नहीं की है। वादी द्वारा गलत तथ्य पेश किये गये है जो खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए जाहिर किया कि उक्त आराजी मुझ प्रतिवादीया ने यदुनन्दिनी शर्मा पत्नि प्रकाश चन्द जाति ब्राह्मण को विक्रय कर दी है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की दौराने वाद मृत्यु होने पर विधिवत नाम हजफ किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 10 को प्रार्थना–पत्र पेश होने पर विधिवत पक्षकार मुकदमा बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 10 ने अपना जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.01.2009 से क्रय करने से खातेदार काश्तकार है। वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीया यदुनन्दिनी को जरिये विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

प्रकरण में वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 03.01.2025 को वादी का वाद–पत्र अदमपैरवी, अदमहाजरी में खारिज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा के पुष्टि में पेश मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र के अनुसार पत्रावली में पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श डलवाये गये। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रतिदावा में अंकित तथ्यों व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कराते हुए अपने प्रतिदावे की ताईद कर प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श, मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्रों का अवलोकन किया गया, जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 10 ने जरिये विक्रय पत्र से उक्त आराजी को क्रय की है तथा पेश गवाहान् के शपथ–पत्र के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करना साबित होता है। अतः प्रतिदावा मुताबिक दस्तावेजात, प्रदर्श, मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र अनुसार प्रतिवादीया अपना प्रतिवादा साबित करने में सफल रही है। अतः मुताबिक दस्तावेजात, प्रदर्श, मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र अनुसार दावा प्रतिवादीया संख्या 10 के हक में डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श , साक्ष्य शपथ–पत्र के अनुसार प्रतिवादीया संख्या 10 के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर आराजी खसरा नंबर 2144 रकबा 0.52 है0 वाकै ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की जमाबंदी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 (पतासी पत्नि कालू) कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार का नाम हजफ कर प्रतिवादी संख्या 10 (यदुनन्दनी पत्नि श्री प्रकाश चन्द जाति ब्राह्मण, निवासी रामपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तहसील शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/1/2025 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संजीव कुमार खेदर, RAS.)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :– 4/2009

उनवान

1. किशोरी लाल पुत्र मुंशीलाल (मृतक दौराने वाद)
1/1 श्रीमति कलावती पत्नि स्व० किशोरीलाल
1/2 विनेश पुत्र स्व० किशोरीलाल
1/3 नवल किशोर पुत्र स्व० किशोरीलाल
1/4 संजू पुत्री स्व० किशोरीलाल
1/5 कुसुम शर्मा स्व० किशोरीलाल
समस्त जाति व्यस्कान, जाति ब्राह्मण, निवासी कस्बा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– वादीगण

बनाम

1. पतासी देवी पत्नि स्व० कालूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी रामपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर हाल गंगानगर (मृतक दौराने वाद के कारण नाम हजफ किया)
– प्रतिवादीया
2. फूली देवी पुत्री स्व० परमा पत्नि स्व० बालजी जाति ब्राह्मण निवासी सांवलपुरा तंवरान, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
3. सीताराम पुत्र मांगीलाल निवासी सावंलपुरा तवंरान तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (मृतक दौरान वाद) न्यायालय आदेश दिनांक– 15.04.2024 के द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–4 (4) स्वीकार फरमाया जाकर वारिसान को रिकार्ड पर लेने से छूट प्रदान की
4. बसंती लाल पुत्र मांगीलाल निवासी सांवलपुरा तंवरान, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
5. रेशमी पुत्री मांगीलाल निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
6. इन्द्रमणी पुत्री मु० धापा देवी निवासी 'शेरपुरा गुवार तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
7. रमेश पुत्र मुंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी–शाहपुरा, जिला जयपुर

– तरतीबी प्रतिवादीगण

8. उपपंजीयक महादेय–शाहपुरा, जिला जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर

10. श्रीमति यदुनन्दनी पत्नि श्री प्रकाश चन्द जाति ब्राह्मण, निवासी रामपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर,

–प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से

वाद पत्र इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक :– 15.01.2025

अतः दावा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श , साक्ष्य शपथ–पत्र के अनुसार प्रतिवादीया संख्या 10 के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर आराजी खसरा नंबर 2144 रकबा 0.52 है0 वाकै ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की जमाबंदी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 (पतासी पत्नि कालू) कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार का नाम हजफ कर प्रतिवादी संख्या 10 (यदुनन्दनी पत्नि श्री प्रकाश चन्द जाति ब्राह्मण, निवासी रामपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तहसील शाहपुरा को लिखा जावे।

उक्त डिक्री आज दिनांक 15/1/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	